[2019] 14 एस.सी.आर. 546
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड,
बनाम
श्री घनश्याम चंद शर्मा एवं अन्य।
(सिविल अपील क्रमांक 9076 / 2019) दिसम्बर 05, 2019
[न्यायमूर्तिगण- डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और हृषिकेश रॉय]

सेवा विधि:

पेंशन - का दावा - इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि कर्मचारी ने - इस्तीफा देकर अपनी पिछली सेवाओं को खो दिया था - चुनौती दी गई - उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कर्मचारी पेंशन लाभ का हकदार था क्योंकि उसने बीस साल की सेवा पूरी कर ली थी' उसके इस्तीफे पत्र का विधिक प्रभाव स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होगा - सुप्रीम कोर्ट में अपील - कहा गया: 'इस्तीफा' और 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति' में अंतर है - पेंशन नियमों के अनुसार इस्तीफे में पिछली सेवा की जब्ती शामिल है - 'इस्तीफा' का विकल्प चुनने वाला कर्मचारी इस आधार पर पेंशन लाभ का दावा नहीं कर सकता है पहले उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से वंचित कर दिया गया था - केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972 - नियम 26

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया किः

1. केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972 के नियम 26 में कहा गया है कि इस्तीफा देने पर, एक कर्मचारी अपनी पिछली सेवा खो देता है। भले ही पहले प्रतिवादी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए सेवा के अपेक्षित वर्षों को पूरा कर लिया हो, लेकिन उसका निर्णय इस्तीफा देने का था न कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का। यदि यह न्यायालय उनके इस्तीफे को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले के रूप में फिर से वर्गीकृत करती है, तो इससे इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अवधारणाओं के बीच अंतर अस्पष्ट हो जाएगा और नियम 26 का संचालन निरर्थक हो जाएगा। ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता. [पैरा 12][554-ई-जी; 555-ए]

2. अपीलकर्ता-नियोक्ता ने पहले प्रतिवादी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि पहले प्रतिवादी ने बीस वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी। इस प्रकार यह आग्रह किया गया कि पहले प्रतिवादी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने से इनकार करने का अपीलकर्ता का निर्णय अवैध था क्योंकि

प्रतिवादी ने बीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी। भले ही उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने से इनकार कर दिया गया था, पहले प्रतिवादी ने इस फैसले को चुनौती नहीं दी और इस्तीफा दे दिया। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से इनकार इस्तीफे से उत्पन्न होने वाले कानूनी परिणामों को कम नहीं करता है। यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध है कि पहले प्रतिवादी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति इनकार किये जाने पर आपत्ति जताई थी।
इसके विपरीत, प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता को भेजे गए विधिक नोटिस में, पहले प्रतिवादी ने इस्तीफा देने की बात स्वीकार की। पहले प्रतिवादी की रिट याचिका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से इन्कार और अंततः इस्तीफा दिये जाने के तेरह साल बाद दायर की गई थी। इन परिस्थितियों में, जबकि पहले उत्तरदाता ने स्वीकार किया हो कि उसने इस्तीफा दिया है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से इनकार किये जाने को इस न्यायालय के समक्ष पेंशन लाभ का दावा करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। [पैरा 13,14][555-बी-ई]

3. इसलिए इस प्रश्न का कि क्या पहले प्रतिवादी ने बीस वर्ष की सेवा पूर्ण की है अथवा नहीं , वर्तमान विवाद में कोई विधिक महत्व नहीं है। भले ही प्रथम प्रतिवादी ने बीस साल की सेवा की हो, सीसीएस पेंशन नियमों के नियम 26 के तहत इस्तीफे पर उसकी पिछली सेवा जब्त हो जाती है। इसलिए पहला उत्तरदाता पेंशन लाभ का हकदार नहीं है। [पैरा 15][555-एफ]

वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, एलआईसी बनाम श्री लाल मीना (श्री लाल मीना II") (2019) 4 एससीसी 479 - पर बल दिया। असगर इब्राहिम अमीन बनाम एलआईसी (2016) 13 एससीसी 797 - को रद्द/निष्प्रभावी कर दिया गया। वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, एलआईसी बनाम श्री लाल मीना ("श्री लाल मीना 1") (2015) 17 एससीसी 43:

[2015] 12 एससीआर 158 - संदर्भित।

केस लॉ रेफरेंस (2016) 13 एससीसी 797 पैरा3 को रद्द/निष्प्रभावी कर दिया गया [2015] 12 एससीआर 158 पैरा7 (2019) को संदर्भित किया गया 4 एससीसी 479 पैरा 7 पर बल दिया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 9076/2019

एलपीए संख्या 408/2017 में नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 26.05.2017 से। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 14 एस.सी.आर.

सी. यू. सिंह, सीनियर. अधिवक्ता, अनुपम वर्मा, निखिल शर्मा, पुखरामबम रमेश कुमार, राहुल किनरा, करुण शर्मा, अपीलकर्ता के अधिवक्ता

पराग त्रिपाठी, श्री आर०सी० कौशिक, सुमित पुष्करन, आलोक गुप्ता उत्तरदाता के अधिवक्ता।

न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ द्वारा सुनाया गया

1. दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अपने आदेश दिनांक 26 मई 2017 द्वारा पहले प्रतिवादी को पेंशन लाभ देने के एकल न्यायाधीश के 21 मार्च 2017 के फैसले को बरकरार रखा। एकल न्यायाधीश के फैसले ने अपीलकर्ता को पहले प्रतिवादी को पेंशन लाभ का भुगतान करने का निर्देश इस आधार पर दिया कि उसने बीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी और 'स्वेच्छा से सेवानिवृत्त' हुए थे न कि सेवा से 'इस्तीफा' दिया था। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में इन निष्कर्षों को चुनौती दी गयी।

2. पहले प्रतिवादी को 9 जुलाई 1968 को दैनिक रेटेड मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी सेवाएं 22 दिसंबर 1971 को चपरासी के पद पर नियमित कर दी गईं। पहले प्रतिवादी ने 7 जुलाई 1990 को अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे अपीलकर्ता ने 10 जुलाई 1990 से प्रभावी मानते हुये स्वीकार कर लिया। पहले प्रतिवादी को बाद में अपीलकर्ता द्वारा दो आधारों पर पेंशन लाभ से वंचित कर दिया गया। पहला, कि उसने बीस साल की सेवा पूर्ण नहीं की थी, जिससे वह पेंशन के अनुदान के लिए अयोग्य हो गया। दूसरा, किसी भी मामले में, इस्तीफा देकर, पहले प्रतिवादी ने अपनी पिछली सेवाओं को जब्त कर लिया था और इसलिए वह पेंशन लाभ का दावा नहीं कर सकता।

3. दूसरा प्रश्न कि क्या इस्तीफा देकर, पहले प्रतिवादी ने अपनी पिछली सेवा खो दी है, इसे पहले संबोधित किया जाना चाहिए। यदि पहले प्रतिवादी के इस्तीफे के परिणामस्वरूप पिछली सेवा जब्त हो जाती है, तो यह सवाल कि क्या उसने बीस साल की सेवा पूरी कर ली है, अप्रासंगिक हो जाएगा। यह मानते हुए कि पहले प्रतिवादी के इस्तीफे के पत्र का कानूनी प्रभाव 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति' के समान होगा, दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने असगर इब्राहिम अमीन बनाम एलआईसी में इस न्यायालय के फैसले को आधार बनाया।

4. असगर इब्राहिम अमीन के मामले में, अपीलकर्ता ने भारतीय जीवन बीमा निगम में तेईस साल की सेवा पूरी करने के बाद 1991 में इस्तीफा दे दिया था। जब अपीलकर्ता ने इस्तीफा दिया, तो वहां संख्या (2016) 13 एससीसी 797 मौजूद थी

बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड बनाम श्री घनश्याम चंद
शर्मा एवं ए.एन.आर. [न्यायमूर्ति - डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़]

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति देने जैसा कोई प्रावधान नहीं था। केंद्र सरकार ने बाद में भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम 1995 प्रख्यापित किया? जिसमें सेवानिवृत्ति पर पेंशन देने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों को निर्धारित किया गया और पहली बार, कर्मचारियों को बीस साल की सेवा के बाद स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दिये जाने का प्रावधान किया गया। एलआईसी पेंशन नियमों के तहत, 1995 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर पेंशन को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था, लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में प्रावधान नहीं। एलआईसी पेंशन नियमों में यह भी निर्धारित किया गया है कि इस्तीफा

पिछली सेवा की जब्ती के समान है। यह निर्णय लेने में कि क्या अपीलकर्ता एलआईसी पेंशन नियमों के तहत पेंशन का हकदार था, न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

"16.... (शीलकुमार जैन बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2011) 12 एससीसी 197 को उद्धृत करते हुए) उपरोक्त वर्णित व्यवस्थाओं से स्पष्ट है कि न्यायालय को यह पता करने के लिये कि क्या किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति इस्तीफे की तरह सेवा समाप्ति थी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के माध्यम से , प्रत्येक मामले में वैधानिक प्रावधानों का व्याख्यान करना होगा और वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय न्यायालय को वैधानिक प्रावधानों के उद्देश्य को ध्यान में रखना होगा... 17. अपीलकर्ता को केवल इसलिए पेंशन लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए था कि उसने अपनी सेवा की बर्खास्तगी को "इस्तीफे" की शैली दिया था या क्योंकि उस समय स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने का कोई प्रावधान नहीं था। पेंशन नियमावली का सराहनीय उद्देश्य है वृद्धावस्था में

संकट और उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए लोगों के एक वर्ग तक लाभ पहुंचाना और यदि वैधानिक प्रावधानों और क़ानून के स्वीकृत उद्देश्य के बीच कुछ विसंगतियां हैं जिससे उस वर्ग के लाभार्थियों के बीच भेदभाव किया जा सके, तो न्याय की मंशा हमें दोनों के बीच मतभेदों को कम करने और जहां तक हो सके उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए बाध्य करता है। यदि हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत वैधानिक प्रावधानों और मौलिक अधिकारों की प्रशंसनीय भावना के बजाय अक्षरश: आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने कर्तव्य में असफल होंगे।"

(जोर दिया गया)

> एलआईसी पेंशन नियम सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 14 एस.सी.आर.

5. असगर इब्राहिम अमीन के मामले में न्यायालय ने यह माना कि अपीलकर्ता के पत्र में 'इस्तीफा' शब्द के इस्तेमाल के बावजूद, न्यायालय को स्वतंत्र रूप से यह निर्धारित करना पड़ा कि क्या सेवा की समाप्ति 'इस्तीफा' है या 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति'। चूंकि असगर इब्राहिम अमीन में अपीलकर्ता ने सेवा के निर्धारित वर्षों को पूरा कर लिया था और, उसके इस्तीफे के समय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का कोई प्रावधान नहीं था, न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता वास्तव में 'स्वेच्छा से सेवानिवृत्त' हुआ था न कि 'इस्तीफा' दिया था। एलआईसी पेंशन नियमों ने केवल सेवानिवृत्ति पर प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया है। हालाँकि, यह मानने में कि न्यायालय को यह निर्धारित करना होगा कि क्या 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति' या 'इस्तीफे' का मामला मौजूद है, निर्णय का प्रभाव स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से लागू करना था। न्यायालय विक्रमजीत सेन ने स्पष्ट रूप से यह नोट किया : "11....प्रतिवादी निगम ने अपीलकर्ता की दलील को यह कहकर चुनौती दिया है कि प्रासंगिक तिथि और समय अर्थात 29-1-1991 को उनके पास अपना इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, यह इंगित करते हुए कि वह भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) विनियम, 1960 के विनियम 19(2-ए) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग नहीं कर सकते थे। यदि ऐसा होता , तो एक मॉडल नियोक्ता होने के नाते प्रतिवादी को इनका लाभ अपीलकर्ता को दिया जा सकता था और देना चाहिए था, जिससे उसकी पेंशन के लिये पात्रता सुरक्षित रहती। हालाँकि, हमें प्रतिवादी के तर्क में कोई बल नहीं दिखा क्योंकि विनियम 19(2-ए) को वास्तव में, 1-11-1993 से पेंशन योजना के अस्तित्व में आने के बाद 16-2-1996 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। (जोर दिया गया) 6. वर्तमान मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने असगर इब्राहिम अमीन के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि पहला प्रतिवादी पेंशन लाभ का हकदार था। एकल न्यायाधीश ने कहा कि पहले प्रतिवादी ने बीस साल से अधिक की सेवा पूरी कर ली थी और वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन पाने के लिए पात्र होता। इसलिए, पहले प्रतिवादी द्वारा 'इस्तीफा' शब्द का उपयोग करने के बावजूद, मामले के तथ्यों के स्वतंत्र निर्धारण पर, एकल न्यायाधीश ने माना कि उसने वास्तव में सेवा से 'स्वैच्छिक इस्तीफा' दिया था। 7. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सीयू सिंह ने हमारा ध्यान इस ओर दिलाया कि एस्गर इब्राहिम अमीन में न्यायालय के दृष्टिकोण की जाँच हेतु

बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड बनाम श्री घनश्याम चंद
शर्मा एवं ए.एन.आर. [न्यायमूर्ति - डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़]

वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, एलआईसी बनाम श्री लाल मीना" ("श्री लालमीना I') में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने प्रस्तुत मामले को इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ को भेज दिया।
इसके बाद इस कोर्ट की तीन जजों की बेंच का गठन किया गया और वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, एलआईसी बनाम श्री लाल मीना ("श्री लाल मीना आईटी") में उद्घोषित निर्णय द्वारा असगर इब्राहिम अमीन में अपनाए गए दृष्टिकोण को खारिज कर दिया। इन दोनों निर्णयों को रिकॉर्ड पर रखा गया है।

8. श्री लाल मीना I और श्री लाल मीना II के तथ्य असगर इब्राहिम अमीन के तथ्यों के समान थे। प्रतिवादी कर्मचारी ने बीस वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद इस्तीफा दे दिया था। न्यायालय को यह निर्धारित करना था कि क्या प्रतिवादी का 'इस्तीफा' उसकी पिछली सेवा की जब्ती के बराबर है जिससे वह पेंशन से वंचित हो गया है या वास्तव में 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति' है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (तब विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) श्री लाल मीना मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए मैंने कहा:

"28...कहने की जरूरत नहीं है कि इस्तीफे का प्रभाव एक कर्मचारी की बर्खास्तगी के तौर पर पड़ता है हालांकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रभाव भी किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी है फिर भी इसके अलग-अलग परिणाम होते हैं। पहले मामले में, पूर्व कर्मचारी पेंशन का हकदार नहीं हो सकता है, जबकि बाद वाले मामले में, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में, कर्मचारी नियमों या नियमों या योजना में निर्धारित शर्तों के आधार पर पेंशन का हकदार होगा। 1995 के नियमों के नियम 23 में विशेष रूप से प्रावधान है कि इस्तीफा, बर्खास्तगी, निष्कासन, समाप्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर, कर्मचारी पिछली सेवा खो देगा और वह पेंशन लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।
इस प्रकार, 1995 के नियमों के तहत दिया गया इस्तीफा किसी कर्मचारी को पेंशन पाने का हकदार नहीं बनाता है।

29.... असगर इब्राहीम अमीन में नियम 31 [स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन] को पूर्वव्यापीता दी गई है और उक्त उद्देश्य के लिए 1960 विनियमों में संशोधन, विशेष रूप से विनियम 19(2-ए) का सहारा लिया गया है। हमारे विचार में, जब नियम 31 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के क्षेत्र को कवर करता है और इसे पूर्वव्यापी नहीं बनाता है, तो इस्तीफे और सेवानिवृत्ति के बीच एक वास्तविक अंतर होने के कारण यह 3 (2015) 17 एससीसी 43 को नहीं होता है।

नियमावली के संशोधित विनियमों को इस प्रकार पढ़ा जाना कि वे पूर्वव्यापी हो जाएं, उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए, हम असगर इब्राहिम अमीन में व्यक्त विचार से सहमत होने में असमर्थ हैं।"

(जोर दिया गया) 9. श्री लाल मीना I मामले में न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन के संबंध में प्रावधान (नियम 31) पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं था क्योंकि संबंधित प्रावधान पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिनियमित नहीं किया गया था। महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने नोट किया कि
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रावधान पूर्वव्यापी रूप से लागू करने पर और प्रत्येक मामले के तथ्यों में यह निर्धारण करते हुए कि क्या किसी कर्मचारी ने "इस्तीफा दे दिया है' या 'स्वेच्छा से सेवानिवृत्त' हो गया है, असगर इब्राहिम अमीन के फैसले ने इस्तीफे और सेवानिवृत्ति के बीच के अंतर को मिटा दिया। न्यायालय ने कहा कि "इस्तीफे और सेवानिवृत्ति के बीच वास्तविक अंतर" है। इन्हें एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किया जा सकता है, और न्यायालय केवल इस आधार पर एक को दूसरे से प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है कि कर्मचारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित वर्षों की संख्या पूरी कर ली है। 10. श्री लाल मीना II में श्री लाल मीना I की व्याख्या को बरकरार रखते हुए, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए कहा कि एलआईसी पेंशन नियमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रावधान के पूर्वव्यापी प्रभाव देने का बेतुका परिणाम होगा: "19. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में कर्मचारी ने इस्तीफा दिया था। जब पेंशन नियम लागू होते हैं, और कोई कर्मचारी इस्तीफा देता है, तो पेंशन नियमों के नियम 23 के तहत परिणाम सेवा की जब्ती है। हमारे विचार में, पेंशन नियमों को प्रतिवादी पर लागू करने का प्रयास एक आत्म-पराजित तर्क होगा। मान लीजिए, पेंशन नियम लागू थे और प्रतिवादी जैसा कर्मचारी सेवा में था और इस्तीफा देना चाहता था, तो पूरी पिछली सेवा जब्त कर ली जाती, और परिणामस्वरूप, वह पेंशन लाभ के लिए पात्र नहीं होता। अन्यथा मानने का अर्थ यह होगा कि नियमों के लागू रहने के दौरान इस्तीफा देने वाले कर्मचारी को पेंशन संबंधी लाभों से वंचित कर दिया जाएगा, जबकि नियम के अस्तित्व में न होने पर इस्तीफा देने वाले कर्मचारी को इन नियमों का लाभ दिया जाएगा।" (जोर दिया गया)

न्यायालय ने कहा कि, यदि असगर इब्राहिम अमीन में अपनाए गए दृष्टिकोण को एलआईसी पेंशन नियमों की व्याख्या में अपनाया जाता है, तो नियम लागू होने के बाद इस्तीफा देने वाला कर्मचारी पेंशन लाभ का हकदार नहीं होगा, लेकिन नियम लागू होने के पूर्व इस्तीफा देने वाला कर्मचारी, जिसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सेवा की निर्धारित अवधि पूरी कर ली है, वह पेंशन लाभ का हकदार होगा। इस तरह के परिणाम को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यह उस प्रावधान को निरर्थक बना देगा जिसमें कहा गया था कि इस्तीफा देने पर पिछली सेवा जब्त कर ली जाएगी।

11. श्री लाल मीना II मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बीच अंतर को स्पष्ट किया:

"22.... [आरबीआई बनाम सेसिल डेनिस सोलोमन (2004) 9 एससीसी 461 को उद्धृत करते हुए] सेवा न्यायशास्त्र में उपयोग होने वाली अभिव्यक्तियाँ "सेवानिवृत्ति", "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति', "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" और "इस्तीफा" अलग-अलग अर्थ व्यक्त करते हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और इस्तीफे में कर्मचारी के सेवा छोड़ने में स्वैच्छिक कार्य शामिल होते हैं। हालाँकि दोनों में स्वैच्छिक कार्य शामिल हैं, फिर भी वे अलग ढंग से प्रभावी होते हैं। बुनियादी भेदों में से एक यह है कि इस्तीफे के मामले में इस्तीफा किसी भी समय दिया जा सकता है, लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति, इसकी निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के बाद ही मांगी जा सकती है। एक और मौलिक अंतर यह है कि पूर्व के मामले में आम तौर पर सेवानिवृत्ति लाभों को देने से इनकार कर दिया जाता है, लेकिन बाद वाले मामले में, इसे इनकार नहीं किया जाता है। पूर्व के मामले में, अनुमति या नोटिस अनिवार्य नहीं है, जबकि बाद के मामले में संबंधित नियोक्ता की अनुमति होना एक आवश्यक शर्त है। हालाँकि इस्तीफा एक द्विपक्षीय अवधारणा है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति पर ही प्रभावी हो जाता है, फिर भी सामान्य नियम को विपरीत प्रावधानों से विस्थापित किया जा सकता है।"

उपरोक्त टिप्पणियों द्वारा इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अवधारणा के बीच भौतिक अंतर पर प्रकाश डाला गया। न्यायालय ने यह भी माना कि यद्यपि पेंशन योजनाएं प्रत्यायोजित रूप में लाभकारी कानून हैं, लाभकारी व्याख्या/निर्माण प्रावधानों की स्पष्ट शर्तों के विपरीत नहीं चल सकता है:

"26. सार्वजनिक क्षेत्रों के नियोक्ता के मॉडल नियोक्ता होने और पेंशन के प्रावधान लाभकारी विधान होने के सिद्धांतों पर कुछ टिप्पणियाँ हैं। (असगर इब्राहिम अमीन बनाम एलआईसी देखें)। हालाँकि, हम ध्यान दे सकते हैं कि हमने जो ऊपर कहा है, उसके अनुसार ऐसा नहीं हो सकता कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2019] 14 एस.सी.आर. दान सिद्धांत पर निपटाया जाए। जब विधायिका, अपने विवेक से. एक विशेष तिथि से और विशेष नियमों और शर्तों पर पेंशन विनियमों के रूप में कुछ लाभकारी प्रावधानों को बनाता है, ऐसे में जिन पहलुओं को बाहर रखा गया है उन्हें निहितार्थ से इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है।"

असगर इब्राहिम अमीन में व्यक्त अभिमत को अस्वीकार कर दिया गया और न्यायालय ने यह माना कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रावधान निहितार्थ पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होंगे। इस दृष्टि से, जहां किसी कर्मचारी ने सेवा से इस्तीफा दे दिया है, वहां यह सवाल ही नहीं उठता कि वह वास्तव में 'स्वेच्छा से सेवानिवृत्त' हुआ है या 'इस्तीफा' दिया है। इस्तीफा देने का निर्णय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के निर्णय से भौतिक रूप से भिन्न है। इस्तीफा देने का निर्णय वो कानूनी प्रभाव डालता है जो लागू प्रावधानों के तहत इस्तीफे से होते हैं। ये परिणाम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से उत्पन्न होने वाले परिणामों से भिन्न हैं और किसी कर्मचारी के कार्यकाल की अवधि के आधार पर दोनों को एक-दूसरे से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।

12. वर्तमान मामले में, पहले प्रतिवादी ने 7 जुलाई 1990 को से इस्तीफा दे दिया जो 10 जुलाई 1990 से प्रभावी हुआ। इस्तीफा देकर, पहले प्रतिवादी ने स्वयं को अपनी सेवा पर लागू प्रावधानों के तहत इस्तीफे से होने वाले कानूनी परिणामों के हवाले कर दिया। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972° के नियम 26 में कहा गया है कि:

"26. इस्तीफ़ा देने पर सेवा की ज़ब्ती
(1) किसी सेवा या पद से इस्तीफा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इसे सार्वजनिक हित में वापस लेने की अनुमति न दी जाए, पिछली सेवा को जब्त कर देता है।..."

नियम 26 में कहा गया है कि इस्तीफा देने पर, एक कर्मचारी पिछली सेवा खो देता है। हमने ऊपर देखा है कि असगर इब्राहिम अमीन के मामले में न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को गलत माना गया है क्योंकि यह इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बीच महत्वपूर्ण अंतर को हटा देता है। भले ही पहले प्रतिवादी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए सेवा के अपेक्षित वर्षों को पूरा कर लिया हो, उसका निर्णय इस्तीफा देने का निर्णय था न कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का निर्णय। यदि यह न्यायालय उनके इस्तीफे को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले के रूप में फिर से वर्गीकृत करती है तो इससे इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अवधारणाओं के बीच अंतर अस्पष्ट हो जाएगा और नियम 26 का संचालन निरर्थक हो जाएगा। ऐसा 5 सीसीएस पेंशन नियम बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड बनाम श्री घनश्याम चंद शर्मा एवं अन्य [न्यायमूर्ति डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़] दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है। तदनुसार, एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष को खारिज किया जाता है कि पहला प्रतिवादी 'स्वेच्छा से सेवानिवृत्त' हुआ था।

13. अब हम इस प्रश्न पर आते हैं कि क्या पहले प्रतिवादी ने सेवा में बीस वर्ष पूरे कर लिए थे। वर्तमान कार्यवाही के दौरान, हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया कि पहले प्रतिवादी ने 14 फरवरी 1990 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था। 25 मई 1990 को एक पत्र द्वारा अपीलकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए पहले प्रतिवादी के आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि प्रथम प्रतिवादी बीस वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी। इस प्रकार यह आग्रह किया गया कि पहले प्रतिवादी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से इनकार करने का अपीलकर्ता का निर्णय अवैध था क्योंकि पहले प्रतिवादी ने बीस साल की सेवा पूरी कर ली थी।

14. इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता. भले ही उन्हें 25 मई 1990 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से इनकार कर दिया गया था, पहले प्रतिवादी ने इस फैसले को चुनौती नहीं दी, लेकिन 7 जुलाई 1990 को इस्तीफा दे दिया। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से इनकार इस्तीफे से उत्पन्न होने वाले कानूनी परिणामों को कम नहीं करता है। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं रखा गया है कि पहले प्रतिवादी ने 25 मई 1990 और 7 जुलाई 1990 के बीच स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से इनकार करने का मुद्दा उठाया था। इसके विपरीत, पहले प्रतिवादी द्वारा 1 दिसंबर 1992 को भेजे गए कानूनी नोटिस में अपीलकर्ता, पहले प्रतिवादी ने इस्तीफा देने की बात स्वीकार की। पहले प्रतिवादी की रिट याचिका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और अंततः इस्तीफे से इनकार के तेरह साल बाद शुरू की गई थी। इन परिस्थितियों के आलोक में, जब पहले प्रतिवादी ने स्वीकार कर लिया है कि पेंशन लाभ का दावा करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है।

15. इस मुद्दे पर कि क्या पहले प्रतिवादी ने बीस साल की सेवा पूर्ण की है, हमारी राय है कि इस प्रश्न का वर्तमान विवाद में कोई विधिक महत्व नहीं है। भले ही पहले प्रतिवादी ने बीस साल की सेवा की हो, सीसीएस पेंशन नियमों के नियम 26 के तहत इस्तीफे पर उसकी पिछली सेवा जब्त हो जाती है। इसलिए पहला उत्तरदाता पेंशन लाभ का हकदार नहीं है।

16. उपरोक्त कारणों से, हम अपील की अनुमति देते हैं और तदनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के 26 मई 2017 के आदेश को रद्द करते हैं। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील स्वीकार की गई।

Digitally signed by Vasundhara Sharma
Date: 2023.11.07 11:49:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Raebareli